उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ।

पत्रांक– 22980 /ऋण/ऋणनीति(एल–5)/2018–19 दिनांक– 04-12-2018

समस्त वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–30/ऋण/2010–11 दिनांक 17.07.2010 एवं पत्रांक–19442–44/ऋण/समीक्षा/2014–15 दिनांक 11.11.2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शाखा पर नियुक्त प्रत्येक सहायक फील्ड आफिसर/फील्ड आफिसर को प्रतिमाह कम से कम 15 ऋण पत्रावलियां अर्थात न्यूनतम रू0 10.00 लाख की ऋण पत्रावलियां स्वयं तैयार कर ऋण वितरण कराने तथा जिसकी समीक्षा प्रतिमाह शाखा प्रबंधक द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये है।

प्रधान कार्यालय पर इस आशय की भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि फील्ड स्टाफ अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सजग नहीं है एवं ऋण आवेदन पत्र एकत्र करने में सही भूमिका नहीं निभा रहे है। यह स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है। इसी उदासीनता के कारण कतिपय शाखाओं का ऋण वितरण, लक्ष्य एवं गतवर्ष की तुलना में काफी पीछे चल रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ फील्ड स्टाफ माहवार लक्ष्यों के अनुसार ऋण प्रार्थना पत्र तैयार कर उनमें भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाएं।

आप अवगत ही है कि बैंक का एक मूल उद्देश्य ऋण वितरण करना है। शाखाओं द्वारा जो ऋण वितरण किया जाता है जिससे बैंक को जो ब्याज अर्जित होता है उसका सीधा प्रभाव बैंक की आय पर पड़ता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि शाखा पर नियुक्त प्रत्येक सहायक फील्ड आफिसर/फील्ड आफिसर प्रतिमाह कम से कम 15 ऋण पत्रावलियां अर्थात न्यूनतम रू0 10.00 लाख की ऋण पत्रावलियां स्वयं तैयार कर ऋण वितरण कराने तथा जिसकी समीक्षा प्रतिमाह शाखा प्रबंधक द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें। यदि किसी फील्ड कर्मी द्वारा लक्ष्यों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ऋण वितरण का कार्य नही किया गया तो उसकी वार्षिक चरित्र प्रविष्टि में विशेष प्रतिकूल कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ सकता है। मुझे आशा है कि वह इस प्रकार का कोई अवसर नहीं देंगे।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र, लखनऊ।
2. समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0, लखनऊ।
3. निजी सचिव(प्रबन्ध निदेशक)उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
4. उप महाप्रबंधक(आई0टी0सेल),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0, लखनऊ को इस आशय के साथ कि बैंक की समस्त शाखाओं को ई–मेल कराने का कष्ट करें।

(के0 बी0 लाल)
सहायक महाप्रबंधक(ऋण)